

FORM-I (For Linear Projects) Government Of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli

Dated- 28.02, 2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.853 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Department, Uttarakhand for Construction of Dewaldhar to Kalchunda Motor Road under PMGSY in Chamoli district falls within jurisdiction of village Kalchunda village in Gairsain Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire <u>2.853 hectares</u> of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

Signature

Name: Ashok Kumar (IAS)

चमोली



Office of the District Collector,

District-Chamoli (Uttrakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttrakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Ashok Kumar (IAS), District Magistrate, Chamoli (Uttrakhand) on 28.02.2015 at 15.00 was Chamoli in which the application claiming rights in Kalchunda village in Gairsain Tehsil, area measuring 2.853 Hectares for the Construction of Dewaldhar to Kalchunda Motor Road under PMGSY in Chamoli of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Gairsain Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

District Magistrate - cum -Chairman, District Level Committee, Chamoli

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जिल्ला होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति— जैर स्मै०/ उपखण्ड शैर सेण परिक्षेत्र के अन्तर्गत द्वला धार — व्यला सुव्या मोटर (1-400 है0) आरक्षित वन भूमि-1-138 है0 सिविल एवं सीयम वन भूमि- 1:315 है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल २ . १५ है वन भूमि) ग्राम्य विकास विभाग प्रयोवता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुस्चित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड रतरीय समिति (तहसील- अरस्का) की दिनांक 23-02-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण ।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री न्त्रे ह रूप निर्धा उपजिलाधिकारी, एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैंटक में माननीय सदस्यों की उपरिथति निम्नानुसार है:-

1	श्री के रूस व नेशी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	80/
2	श्री प्रवापासह बुदोला	उपप्रभागीय वनाधिकारी रेजर	सदस्य	M
3	शी सुरेन्द्रलाल	सहा0 समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	XWD Q
4	भी भली स्माम मिलत	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत	सदस्य	र्शिक्ति देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देवल्यार -क्र लच्च ७५ । मोटर मार्ग परियोजना हेतु २.८५३ है० भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतू प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत चनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी , वन प्रभाग, केद्राप्याप्या अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पप्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तृत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।



्रिक् कर कर कर प्राप्त परियोजना के निर्माण हेतु 2.8.3 है। वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रतयावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उपजिलाशिका श्री अध्येषाता । उपखण्ड स्तरीय बन अधिकार समिति

तहसील– जनपद–

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उपजिलाधि शि अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय बना अधिकार समिति

तहसील--जनपद--

परियोजना का नामः— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत डिप्टला छार - किल पुर्ण मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को इस्तान्तरण।

दिनांक 23 🔰 2015 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

जनपद-चमोली।

1	श्री के एसा नेजी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	श्री प्रतापिसहं बुरोला	उपप्रभागीय वनाधिकारी रेजर	सदस्य
3	शी सुरेन्द्रलाल	सहा० समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य सिंचव
4	श्रीभारी प्रमाम निष्टिशि	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत	सदस्य विज्ञान

(5) AF EMITTEE

सवस्य क्षेत्र पंचायतः वार्थ सं० २८ पेहलच्छेते विस्ता क्सेंब (चयासी)

(6) जीन्ती सीना हर्ना

- হাতি বিশ্ব বিশ্

(1) सीमती रामश्वरी देवी बी. डी. बी क्सियणा

21मे २०२१दे० सदस्य क्षेत्र पंचायत यार्ड सं० 11 सिराणा विगख० गैरसँण (चर्मा

(8) मी आन्नह याम ती डी. बी मरांडा

सदस्य भग पना-ः याई रांग्र १४ सराह्य विराखाः गैराहम (चमाला) परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड में देवलधार — कलचुन्डा तक मोटर मार्ग कि0मी0 1 से 6.225 कि0मी0 तक।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापित्त प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत का नाम कलचुन्डा तहसील, जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्ग्त देवलधार — कलचुन्डा तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (1,400 हे0 आरक्षित वन भूमि.। 138 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.315 हे0, वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल2.853 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन

मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कलचुन्डा द्वारा दिनांक 15.02.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चूला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0
ग्राम सचिव
मुहर सहित (1000)
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
्य - क्यान्स्ट्रियः (1000)
विकास खण्ड - ग्रीप्टरी

ह0 / – ग्राम प्रधान / सरपंच मुहर सहित



13

TEN 30.4

दिनांक। 5.02.20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत लेल-सुरुड्डा

कुमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	इस्ताधर
1	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम श्री - हथात सिंह है जिया जाल्याण सिंह	विमाग्निट विक
2	11- गोविन्दासिंह डो० थी- रामसिंह	गोबिन्द सिंह
3	भीमती - सुभती देवी wo अयामसिंहे	स्मरीर्वी
4	अ - हरीदल 5 10 पदमराभ	EI
5	19- 36करमसाद हो एरामक्रिकी	3000 5/7/4
6	ा- लीलावेबी ७० जमनासह	सिला देवी
7	11- 8रे-वासिंह डा० मवानसिंह	The state of the s
8	11- Base 101 2 2 10 8 0 5 0 5	port
9	वन्यमारी ही व पदम राम्	C6=831011
10	17. गोबर्धन-पदाद डो० लीलान-द	Giovern
911	19 वक्षिह दी व महेन्त्रिंह	
12	19- माध्यानन्द डी० देशरीम	2/18/11 नन्यु
13	11- देने: श्रीं डो० ह्याति ह	देने-शतह
14	11- मोहनासंह डा० रवीमासंह	- Mari
15	11- गर्मासंह 50 किल्याणितिह	-Com-

ह0/-ग्राम प्रधान

